

सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला
जमशेदपुर - 831007

सं.- 2-NML(01)/SHC/2025/Vig.(E-II)

दिनांक : 02.04.2025

कार्यालय जापन

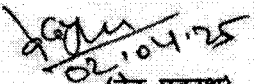
विषय :	केन्द्रीय सरकारी संस्थानों के कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन/ Constitution of Internal Complaints Committee (ICC) for Prevention of sexual harassment of women at the workplace of Central Government Institutions, prohibition and redressal.
--------	---

केन्द्रीय सरकार के संस्थानों में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक-उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 (खण्ड-II के धारा 4) एवम् महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 9 दिसम्बर 2013 के परिप्रेक्ष्य में निदेशक, सी.एस. आई.आर.-रा.धा.प्र. द्वारा "आंतरिक शिकायत समिति" (ICC) का गठन किया गया है। गठित समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं:

a. डॉ. अंशु जे. कैलाथ, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक	- अध्यक्ष
b. डॉ. गोपी किशोर मंडल, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक	- सदस्य
c. डॉ. अर्पिता घोष, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक	- सदस्य
d. डॉ. प्रियंका सिंह, चिकित्सा अधिकारी [Gr.III(4)]	- सदस्य
e. श्रीमती ज्योति पांडे, संस्थापक, Purple Hues	- सदस्य [वाह्य-external]
f. प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी	- सदस्य-संयोजक

आंतरिक शिकायत समिति उपरोक्त उल्लेखित अधिनियम एवम् नियमों के तहत वर्णित प्रक्रियाओं एवम् दिशा-निर्देशों के अनुरूप शिकायतों का निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष संबंधी कार्य करेगी।

उपरोक्त समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का रहेगा जो कि 01.04.2028 तक प्रभावी रहेगा।


02.04.25
(वेद प्रकाश)

अनुभाग अधिकारी

- प्रति : 1. अध्यक्ष और आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य,
2. सभी प्रभाग/ अनुभाग प्रमुख,
3. निदेशक महोदय के निजी सचिव,
4. प्रशासन नियंत्रक के निजी सचिव,
5. ई-सूचना पट्ट,
6. व्यक्तिगत फाइल
7. ट्रांसपैरेंसी पोर्टल तथा सीएसआईआर-एनएमएल वेबसाइट.